

छत्तीसगढ़ शासन,
गृह विभाग, सी-अनुभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

-: आदेश :-

नया रायपुर, दिनांक ०५ फरवरी, 2016


क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002 :: यतः राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किया जाने का प्रतिषेध किया जाये।

अतएव छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र. 10 सन् 1979) की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने का, तारीख 10 फरवरी, 2016 से प्रतिषेध करती है।

" अनुसूची "

" राज्य के माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति (पर्सनेल) "


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अरुण देव गौतम)
सचिव,

छ.ग.शासन, गृह विभाग

पृ.क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002, नया रायपुर, दिनांक ०५ फरवरी, 2016
प्रतिलिपि :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. एफ 4-03/गृह-सी/2002, नया रायपुर दिनांक/02/2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।


(अरुण देव गौतम)
सचिव,

छ.ग.शासन, गृह विभाग